झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग।

पत्र संख्या–वन भूमि–72/2005– 1269 व०प०– 12.03.07

प्रेषक,

श्रीमती एस० किरो,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड
सभी उपायुक्त, झारखण्ड ।

रॉची, दिनांक– 12.03.2007

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन पथों के कालीकरण करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–एस०ओ० 1533 दिनांक– 14.09.2006 में चिन्हित परियोजनाओं में वन पथों के कालीकरण कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है । इस प्रकार वैसे वन पथ जो दिनांक– 25.10.1980 के पूर्व निर्मित है, के कालीकरण के लिए पर्यावर्णिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहा ।

अतः राज्य हित में निम्न शर्तो एवं प्रक्रिया के तहत संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से वन पथों के कालीकरण की अनुमति प्राप्त किया जा सकता हैः–

शर्तेः–

i) नेशनल पार्क/वन्य प्राणी आश्रयणी में कालीकरण के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।
ii) कालीकरण के क्रम में यह सुनिश्चत करना होगा कि कोलतार पिघलने के क्रम में वन क्षेत्रों में अग्नि का प्रयोग न करें ।
iii) कालीकरण के क्रम में वृक्षों का कटाई नहीं हो ।
iv) वन क्षेत्र की सीमा के भीतर पत्थरों की तुड़ाई नहीं की जाए ।
v) पथों की चौड़ाई में वृद्वि नहीं की जाएगी । चौड़ीकरण के मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 के तहत पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।
vi) वन क्षेत्र में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करना होगा ।
vii) नये वन क्षेत्र (Fresh Forests Area) को खण्डित नहीं किया जाएगा ।
viii) सुर्यास्त के पश्चात् कालीकरण कार्य नहीं किया जाएगा ।

प्रक्रियाः–

1) वन पथों के कालीकरण का प्रस्ताव कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बंधित वन प्रमडल पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा ।
2) समर्पित प्रस्ताव की समीक्षा कर उपरोक्त शर्त्तो के अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात् कार्यानुमति आदेश निर्गत किया जाएगा । और इस आदेश की प्रति संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्याकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड को देंगे ।
3) कालीकरण का आदेश उन वन पथों पर लागु होगा, जो दिनांक–25.10.1980 के पूर्व निर्मित है ।

विश्वासभाजन
एस० किरो
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक वन भूमि– 72/2005– 1269 व०प०, रॉची, दिनांक– 12.03.2007